प्रेस नोट दिनांक 30.04.2026

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: हर्ष फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 01 अभियुक्त आनन्द शुक्ला को थाना क्षेत्रान्तर्गत कुण्डा कस्बा के आगे मवई बाइपास रोड पर करमअली का पुरवा जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक 29.04.2026 को वादी निवासी ग्राम जमेठी बंझोलिया, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना पर तहरीर दी गई कि आरोपी आनन्द शुक्ला (पत्रकार) द्वारा वादी की पुत्री के विवाह कार्यक्रम में द्वारचार के दौरान अपनी पिस्टल से फायर किया गया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई तथा पुनः फायर करने पर गोली वादी के रिश्तेदार निवासी कदिलाबाद मनगढ़ को लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार प्रयागराज में चल रहा है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 109, 288 बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट बनाम आनन्द शुक्ला पत्रकार का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान व उ0नि0 मनोज राय मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, होगा0 संतलाल, होगा भोलानाथ पाण्डेय मय चालक का0 हरेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 109, 288 बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त आनन्द शुक्ला पुत्र प्रदीप कुमार शुक्ला निवासी मोहल्ला प्रेम नगर कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 39 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 7.62 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.62 के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत कुण्डा कस्बा के आगे मवई बाइपास रोड पर करमअली का पुरवा जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. आनन्द शुक्ला पुत्र प्रदीप कुमार शुक्ला निवासी मोहल्ला प्रेम नगर कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 7.62 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.62 बरामदगी।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान व उ0नि0 मनोज राय मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, होगा0 संतलाल, होगा भोलानाथ पाण्डेय मय चालक का0 हरेन्द्र कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा हत्या व दुष्कर्म के इनामिया 50,000/- रुपये वांछित अभियुक्त शुभम सोनकर के दोनों पैरो में मुठभेड के दौरान लगी गोली, अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल कारतूस बरामद-

प्रतापगढ़
आज दिनांक 30.04.2026 को थाना मानिकपुर पुलिस व स्वाट (SWAT)/सर्विलांस टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 91/2026 (धारा 103(1)/70(1)/3(5)/61(2)/238(ए) BNS) में वांछित 50,000 रुपये का इनामी अपराधी शुभम सोनकर अवैध असलहे के साथ जनपद कौशाम्बी की ओर से करेंटी गंगा पुल होते हुए अपने अधिवक्ता से मिलने जा रहा है।

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा ग्राम करेंटी तिराहे पर घेराबंदी कर सघन चेकिंग शुरू की गई। दोपहर करीब 13:45 बजे संदिग्ध अभियुक्त शुभम सोनकर को जब पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया, तो उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा।

कार्यवाही-
01. दिनांक 27.04.2026: घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर मुख्य अभियुक्त (बाल अपचारी) को पुलिस संरक्षण में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे पर्यवेक्षण गृह भेजा गया।
02. दिनांक 28.04.2026: अपराध में संलिप्त दूसरे अभियुक्त विष्णु प्रकाश गौतम पुत्र अज्ञात (जाति हरिजन) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।
03. दिनांक 30.04.2026 (आज): शेष वांछित इनामी अभियुक्त शुभम सोनकर को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण:

01. शुभम सोनकर पुत्र दिलीप सोनकर, निवासी पम्पापुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ (उम्र 21 वर्ष)।
2.
बरामदगी का विवरण:
01 अदद देशी पिस्टल (32 बोर), 01 अदद खोखा कारतूस (32 बोर), 03 अदद जिंदा कारतूस (32 बोर, मैगजीन सहित बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
प्रभारी निरीक्षक, थाना मानिकपुर (मय हमराह फोर्स)
स्वाट/ सर्विलांस टीम-उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0 दिनेश सिंह,उ0नि0 अमित सिन्हा, मु0आ0 मोहित राज यादव मु0आ0 धनंजय राय मु0आ0 महेंद्र प्रताप, मु0आ0 राजेंद्र प्रसाद सिंह, आरक्षी जागीर सिंह, आरक्षी अरविंद दुबे, आरक्षी सनोज (सर्विलांस टीम) आरक्षी सूर्य प्रताप सिंह (सर्विलांस टीम)

घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी कालाकांकर भेजा गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है। अभियुक्त की स्थिति खतरे से बाहर है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संदीप वर्मा को किया गया गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुढ़ियापुर व ग्राम तिलहर के मध्य स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0 का0 सन्तराज सरोज, का0 सुनील सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/64/127 (2)बीएनएस थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त संदीप वर्मा पुत्र ओमकार नाथ वर्मा नि० ग्राम बुढ़ियापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुढ़ियापुर व ग्राम तिलहर के मध्य स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. संदीप वर्मा पुत्र ओमकार नाथ वर्मा नि० ग्राम बुढ़ियापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0 का0 सन्तराज सरोज, का0 सुनील सरोज थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त छंगू सरोज उर्फ श्रवण कुमार को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत लच्छीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजयकांत सत्यार्थी सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 कामता प्रसाद सिंह मय हमराह का0 चन्दन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ से संबंधित वांछित अभियुक्त छंगू सरोज उर्फ श्रवण कुमार पुत्र नाटे उर्फ राजकुमार सरोज निवासी गोवर्धनपुर थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 19 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत लच्छीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. छंगू सरोज उर्फ श्रवण कुमार पुत्र नाटे उर्फ राजकुमार सरोज निवासी गोवर्धनपुर थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 कामता प्रसाद सिंह मय हमराह का0 चन्दन यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।